

मेरी मरांडी
बनाम
16 आना रैयत
मौजा-अयोध्या, न०-23

आदेश-फलक

देखें अभिलेख हस्ताक, 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक तारिख.....जिला-साहेबगंज
केस के प्रकार-धारा - प्रधान बहाली वाद संख्या 28/2019-20

आदेशको क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी और तार सहित
30.7.19	<p>अंचल अधिकारी, तालझारी के पत्रांक 497/रा० दिनांक 24.07.2019 के द्वारा मौजा- अयोध्या, न०-23 के रिक्त ग्राम प्रधान के पद पर प्रधान बहाली हेतु जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। मौजा के 16 आना रैयतो से अनापति आमंत्रित हेतु विधिवत् नोटिस निर्गत किया गया।</p> <p>अवलोकन किया। जाँच प्रतिवेदन के साथ मौजा- अयोध्या, न०-23 में दिनांक 18.07.2019 को श्री गंगु हेम्रम के अध्यक्षता में मौजा के 16 आना रैयतों के उपस्थिति में प्रधान बहाली से संबंधित ग्राम सभा की गई। जिसकी प्रति संलग्न। ग्राम सभा में उपस्थित सभी ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से श्रीमति मेरी मरांडी, पति-स्व० छोटा अभिराम बेसरा, ग्राम-अयोध्या को मौजा- अयोध्या, न०-23 में प्रधान के रूप में चाहते हैं तथा प्रधान बहाल होने का प्रस्ताव रखा।</p> <p>अंचल अधिकारी, तालझारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मौजा- अयोध्या, न०-23 एक प्रधानी मौजा है। जिसके पूर्व प्रधान छोटा अभिराम बेसरा थे जिनकी मृत्यु हो गई है। ग्राम प्रधान नियुक्ति हेतु एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें श्रीमति मेरी मरांडी, पति-स्व० छोटा अभिराम बेसरा, ग्राम-अयोध्या, पो०+थाना-तीनपहाड, जिला-साहेबगंज को प्रधान के रूप में चयन किया गया है।</p> <p>श्रीमति मेरी मरांडी एक शिक्षित महिला है। ये पूर्व प्रधान छोटा अभिराम बेसरा की द्वितीय पत्नी है। पूर्व से ही ग्राम में होने वाले किसी भी सार्वजनिक जन हित कार्यों में बड़-चड़ कर हिस्सा लेकर सम्पादन करते आ रही है। अतएव श्रीमति मेरी मरांडी प्रधान बनने योग्य व्यक्ति है।</p> <p>अतएव अंचल अधिकारी, तालझारी के जाँच प्रतिवेदन एवं मौजा के 16 आना रैयतों के आपत्ति के अभाव में आवेदिका श्रीमति मेरी मरांडी को मौजा-अयोध्या थाना न०-23 सथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 06 के अन्तर्गत प्रधान के पद पर नियुक्त किया जाता है। कबुलियत दाखिल करें। तत्पश्चात पट्टा निर्गत किया जायेगा।</p> <p>आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, तालझारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p>	3
<p>अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल।</p>	<p>अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल।</p>	<p>सापेक 348/00 2019 1-8-19</p>